न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील जी.सी.एम.एस. संख्या 2024/245

1. रामगोपाल पुत्र अर्जुन जाति योगी, निवासी जोगियो की ढाणी, ग्राम खवारानीजी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

–अपीलान्ट

बनाम

1. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तहसील जमवारामगढ, जयपुर ग्रामीण
2. कैलाश
3. जगदीश
4. हनुमान
   पुत्रान गंगू, जाति माली, निवासी ग्राम खवारानीजी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 90बी भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांकित 04/11/2023 बसिलसिले न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जमवारामगढ जयपुर के मुकदमा नंबर LC/2023–24 /172653 मे पारित आदेश के विरूद्ध

उपस्थित–

1. श्री हीरालाल सैनी वकील अपीलान्ट

निर्णय

दिनांक–16.07.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90बी के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर के आदेश दिनांक 04.11.2023 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा–5 एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 04.11.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट रामगोपाल पुत्र अर्जुन जाति योगी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 04.11.2023 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

3. अपील प्रस्तुत होने पर अपीलांट के योग्य अधिवक्ता की बहस, बहस एडमिशन पर सुनी गई।

4. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 ने एक ऑनलाईन आवेदन भूमि खसरा नंबर 1157/699 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1159/699 रकबा 0.02 हैक्टेयर कुल किता 2 का कुल रकबा 0.03 हैक्टेयर वाके

संभागीय आयुक्त
जयपुर

ग्राम ख्वारानीजी, तहसील जमवारामगढ के वाणिज्य प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित किये जाने बाबत प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त भूमि के संबंध में दिनांक 04.11.2023 को वाणिज्य प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश विधि विधान व तथ्यों के विरूद्ध जाकर पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रूपान्तरित भूमि पर ग्रामीण रास्ते के मध्य से 12.5 मीटर की दूरी छोडकर इंडियन रोड कांग्रेस के मापदण्ड अनुसार किये जाने के कानूनी प्रावधान होनेएवंतहसीलदार जमवारामगढ जयपुर की रिपोर्ट के कॉलम नंबर 11 व 12 में ग्राम की मुख्य सडक 4 मीटर दूरी पर स्थित होने की रिपोर्ट मौजूद होने के बावजूद हस्तगत अपीलाधीन निर्णय पारित करने मे कानूनी भूल की है।खसरा नंबर 1157/699 का रकबा मात्र 100 वर्गमीटर व भूमि खसरा नंबर 1159/699 का रकबा मात्र 200 वर्गमीटर भूमि होने एवं उक्त रिपोर्ट उक्त भूमि के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने एवं राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के धारा/नियम 161 के (2) मे विनिर्दिष्ट प्रावधानों गांव सडको की मध्य रेखा से 50 फीट दूरी छोडकर ही पक्का निर्माण किये जाने की अनुज्ञा दिये जाने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने में कानूनी भूल की है।रूपान्तरण कानूनन आई. आर. सी. के मापदण्ड अनुसार नही किया जा सकता जिसके बावजूद रूपान्तरण नियमो की अवहेलना करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है।अपीलाधीन निर्णय मे प्रश्नगत भूमि खसरा नंबर 1159/699 के राजस्व नक्शे के अवलोकन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि उक्त भूमि रोड के मुख्य भाग पर अवस्थित है जिसमे से रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 ता 3 द्वारा कोई भूमि नही छोडी गई है जो नियमानुसार वाणिज्य प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन नही किये जाने के कानूनी प्रावधान रूपान्तरित भूमि पर ग्रामीण रास्ते के मध्य से 12.5 मीटर की दूरी छोडकर इंडियन रोड कांग्रेस के मापदण्ड अनुसार किये जाने के कानूनी प्रावधान की अनदेखी कर पारित किये जाने से निरस्तनीय है । तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा मौके पर जाकर वर्तमान स्थिति का कोई अवलोकन नही किया गया है, नियमानुसार वन विभाग व वन्य जीव अभ्यारण की भूमि से 500 मीटर की परिधि मे स्थित किसी भी भूमि का गैरकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण कानूनन नही किया जा सकता है किन्तु इसके बावजूद तहसीलदार जमवारामगढ वन विभाग की भूमि से 250 मीटर की दूरी पर उक्त प्रश्नगत भूमि को वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित करने का आदेश कतई अवैध व क्षेत्राधिकारिता के बाहर जाकर पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्मत नहीं होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर निरस्त किया जावे।

5. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से जाहिर होता है कि अपीलांट अपीलाधीन आदेश में प्रभावित पक्षकार भी नहीं है ना ही प्रश्नगत आराजी से उसका कोई संबंध है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. में यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि वह अपीलाधीन आदेश से किस तरह प्रभावित है ना ही प्रभावित पक्षकार होने के संबंध में कोई ठोस विधिक दस्तावेज/साक्ष्य पेश किये हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुरके निर्णय दिनांक 04.11.2023 के खिलाफ लगभग 8 माह बाद अपील पेश की है अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 कानून मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों की पुष्टि में एवं विलम्ब के कारणों की पुष्टि हेतु कोई ठोस विधिक दस्तावेज/साक्ष्य पेश भी नहीं किया है। जिससे यह साबित हो सके कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित

अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं थी। ऐसी दशा में प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम अंतर्गत धारा–5 एंव प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. खारिज किया जाकर अपील बहस एडमिशन के स्तर पर खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट बहस एडमिशन के स्तर पर ही निरस्त की जाती है।

(डॉ आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 16.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर